

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक :- 9फ/मानसिक स्वास्थ्य/संविदा नियुक्ति/2017-18/139 लखनऊ / दिनांक- 10-07-2017

वाक-इन-इन्टरव्यू

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 37 जनपद क्रमशः फैजाबाद, उन्नाव, हरदोई, सुल्तानपुर, फतेहपुर, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बरेली, बस्ती, महोबा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, झांसी, वाराणसी, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बलरामपुर, अमेठी, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, शाहजहांपुर एवं बदायूं में जिला-मानसिक-स्वास्थ्य-प्रकोष्ठ, जिला चिकित्सालय हेतु वाक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से निम्नलिखित संविदा पदों पर नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2017-2018 (31 मार्च, 2018 तक) किये जाने हेतु अर्ह एवं इच्छुक अभ्यर्थी पदनाम के सम्मुख अंकित दिनांक को प्रातः 9.30 बजे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, कैसरबाग, लखनऊ में आवेदन पत्र, मूल प्रमाणपत्रों एवं मूल प्रमाणपत्रों की स्वः प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थिति हों।

क्र०सं०	पदनाम	आयु	अनिवार्य योग्यता	पदों की संख्या				मानदेय प्रतिमाह (रु०)	साक्षात्कार की तिथि
1	Consultant Psychiatrist	65 वर्ष तक	1- M.D./ D.N.B. in Psychiatry <i>or</i>	26				For M.D. or D.N.B. 1,00,000/-	2 August, 2017
			2- DPM <i>or</i>	UR	OBC	SC	ST	For DPM 95,000/-	
			3- MBBS with experience in Mental Health / Public Health	14	6	6	0	For Trained Doctors 90,000/-	
2	Clinical Psychologist	21-49 वर्ष	Preference will be given in following chronological order-	24				60,000 / -	2 August, 2017
			1- M.Phil in Clinical Psychology <i>or</i>						
			2- Ph.D. in Psychology/M.Phil in Psychology <i>or</i>						
			3- M.A. / MSc. in Clinical Psychology or equivalent with minimum experience of two years in Mental Health	12	6	6	0		

3	Psychiatric Social worker	-तदेव-	Preference will be given in following chronological order- 1- M.Phil in Psychiatric Social Work <i>or</i> 2- Ph.D. in Social Work/M.Phil in social work <i>or</i> 3- M.A. / MSc. in social work / MSW with minimum experience of Three years in a Mental Health institute / Govt. Health Sector	22	50,000 / -	3 August, 2017
4	Psychiatric Nurse	-तदेव-	Preference will be given in following chronological order- 1- B.Sc in Psychiatric Nursing <i>or</i> 2- Diploma in Psychiatric Nursing (Recognized by INC) <i>or</i> 3- B.Sc. Nursing with experience in Mental Health	28	40,000 / -	3 August, 2017
5	Consultant Mental Health	-तदेव-	Master of community medicine and Public Health with Minimum Three years experience in NCD's at Govt. Organization	1 post	50,000 / -	3 August, 2017

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम :-

- 1- आवेदक का नाम :-
- 2- पिता/पति का नाम :-
- 3- जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार) :-
- 4- शैक्षिक योग्यता :-


क्र०स०	परीक्षा का नाम / डिप्लोमा या डिग्री	बोर्ड का नाम / विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	कुल अंक	प्रतिशत

- 5- अनुभव (प्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-
- 6- स्थायी पता :-
- 7- पत्र व्यवहार का पता :-

- 8- श्रेणी :- सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति (सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी प्रमाणपत्र मूल रूप में)
- 9- वांछित जनपद हेतु तीन विकल्प :-
- 10- मोबाइल न0 :- (1) (2) वैकल्पिक मो0 न0 :-
- 11- ईमेल आईडी (बड़े अक्षरों में) :-
- 12- पहचान पत्र :- (1) पहचान पत्र का प्रकार (2) पहचान पत्र संख्या
- 13- तैनाती हेतु आपेक्षित जनपद का नाम :-
- (1) (2) (3)

अन्य शर्तें :-

- 1- साक्षात्कार के समय समस्त प्रमाणपत्र मूल रूप में लाना अनिवार्य होगा।
- 2- समस्त प्रमाणपत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 3- उपरोक्त समस्त पद पूर्णतया संविदा के पद है उपरोक्त संविदा पद वित्तीय वर्ष 2017-18 (31 मार्च 2018) तक के लिए है तथा भविष्य में कभी भी नियमतीकरण का दावा नहीं किया जायेगा और न ही इसके लिये किसी न्यायालय में वाद दायर करेंगे, इस आशय का एक शपथपत्र अनुबन्धित संविदा चिकित्सक/कर्मों को देना होगा।
- 4- चयनित अभ्यर्थी को आवंटित जनपद में ही अपनी सेवायें प्रदान करनी होंगी एवं किसी भी प्रकार का सेवा-स्थानान्तरण नहीं होगा। जनपद का आवंटन अभ्यर्थी के द्वारा दिये गये तीन विकल्पों के अनुसार यथासम्भव किया जायेगा, परन्तु कार्यक्रम हित में किसी भी जनपद में तैनाती की जा सकती है।
- 5- यदि कोई भी अभ्यर्थी संस्थागत पाठ्यक्रम / नियमित सेवाओं में, अध्ययनरत / कार्यरत होगा तो उसे अनापत्ति प्रमाणपत्र अपने संस्था / नियोक्ता से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6- यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गयी सूचना गलत पायी जाती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 7- अभ्यर्थी को इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार अभियोजन पूर्व / वर्तमान में नहीं चल रही है, यदि पूर्व में कोई तथ्य हो तो उसकी अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगे।
- 8- संविदा पर नियुक्ति निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी, कार्य कुशलता के आधार पर अवधि का विस्तार किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- 9- संविदाकर्म / चिकित्सक कालावधि के लिये किन्ही पेंशन सम्बन्धित सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे। इन्हें ऐसी कालावधि के लिये कोई बोनस आदि देय नहीं होगा।
- 10- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
- 11- किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार जारी रहेगा।
- 12- आवेदन पत्र के साथ जन्म-तिथि, जाति प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता, अंक तालिका, अनुभव प्रमाणपत्र एवं अन्य प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 13- चयनित अभ्यर्थियों का अनुबन्ध जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया जायेगा।
- 14- अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में कार्यक्रम हित में आयु सीमा में छुट प्रदान की जा सकती है तथा अर्ह अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।


संयुक्त निदेशक(मानसिक स्वास्थ्य)/राज्य मॉडल
अधिकारी
राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, स0प्र0।
(स्वास्थ्य भवन), लखनऊ,।

